



सत्यमेव जयते

## उत्तराखण्ड

राज्य की पंचम विधान सभा के वर्ष, 2026  
के प्रथम सत्र में

लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह  
पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम,  
वीएसएम (से.नि.)

मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड

का

# अभिभाषण



उत्तराखण्ड राज्य के माननीय विधान सभा अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष एवं विधान सभा के माननीय सदस्यगण,

मैं, पंचम विधान सभा वर्ष, 2026 के प्रथम सत्र में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूँ।

इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। प्रदेश की अप्रतिम विकास यात्रा में सम्मिलित सभी राज्य आन्दोलनकारियों तथा देवभूमि वासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

देवभूमि उत्तराखण्ड को एक आदर्श राज्य के रूप में विकसित करने में दिये जा रहे सहयोग के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। प्रदेश की मातृशक्ति, युवा शक्ति, अन्नदाता, उद्यमी और पूर्व सैनिकों की महत्वपूर्ण भागीदारी से देवभूमि उत्तराखण्ड समृद्धि और सशक्तिकरण के पथ पर अग्रसर है।

यह मेरे और हमारी सरकार के लिए सौभाग्य का विषय है कि दिनांक 01 नवम्बर से 11 नवम्बर, 2025 तक "राज्य स्थापना रजत जयंती उत्सव" मनाया गया। दिनांक 09 नवम्बर, 2025 को देश के मा0 प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में राज्य गठन के 25 वर्ष की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। माननीय राष्ट्रपति जी के सम्बोधन के साथ विधानसभा का 'विशेष सत्र' आहूत किया गया, जिसमें राज्य की प्रगति एवं भविष्य के रोड मैप के संबंध में विशेष चर्चा हुई।

देवभूमि उत्तराखण्ड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ अर्जित की। मुझे विश्वास है कि हम आगामी वर्ष में विकास की नई ऊँचाईयों को प्राप्त करेंगे।

हमारी सरकार विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड के निर्माण के लिये दृढ़ संकल्प से कार्य कर रही है। यह कालखण्ड आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण तथा अवस्थापना संरचना की दृष्टि से स्वर्णिम काल है।

हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सरलीकरण, समाधान एवं निस्तारीकरण के मार्ग पर पारदर्शिता के साथ निरन्तर आगे बढ़ रही है। राष्ट्र को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के क्रम में देवभूमि उत्तराखण्ड भी मातृशक्ति,

युवा शक्ति, कर्मठ अन्नदाता व उद्यमी आदि की महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है।

हमारी सरकार अवसंरनात्मक विकास के लिए विशेष प्रयास कर रही है। "विकास भी, विरासत भी" को आधार मानकर हमारी सरकार संतुलित विकास, आत्मनिर्भरता और समृद्धि की अवधारणा को प्रशस्त कर रही है।

मुझे यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि राज्य में समान नागरिक संहिता दिनांक 27 जनवरी, 2025 से विधिवत प्रभावी है। इसके अंतर्गत 09 सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराई गई हैं तथा पांच लाख सत्ताइस हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 99 प्रतिशत से अधिक का निस्तारण किया जा चुका है। 15,000 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से इन सेवाओं की पहुंच ग्राम स्तर तक सुनिश्चित की गई है। राज्य सरकार समानता, पारदर्शिता एवं सुशासन के संवैधानिक आदर्शों के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

मेरी सरकार "जन-जन की सरकार" की अवधारणा के अनुरूप शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी एवं नागरिक-केंद्रित बनाने हेतु प्रतिबद्ध है। लोक सेवाओं की डिजिटल उपलब्धता, समयबद्ध शिकायत निवारण तंत्र तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं के सरलीकरण के माध्यम से सुशासन के सिद्धांतों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है।

मेरी सरकार ने "जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार" अभियान को न्याय पंचायत स्तर पर ले जाने का अभिनव प्रयास किया है। इसके अंतर्गत 660 से अधिक शिविरों का आयोजन किया गया, जिनके माध्यम से एक्यावन हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से लगभग तैंतीस हजार नौ सौ शिकायतों को निस्तारित किया गया है। शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण से जनविश्वास सुदृढ़ हुआ है।

परीक्षा प्रणाली की शुचिता सुनिश्चित करने हेतु कठोर विधिक प्रावधान लागू किए गए हैं। अनियमितताओं के मामलों में सतर्कता विभाग द्वारा प्रभावी जांच एवं अभियोजन की कार्रवाई की गई है तथा भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति के अंतर्गत दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की गई है।

राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में नियुक्तियां किए जाने के लिए भर्ती तंत्र को निष्पक्ष एवं उत्तरदायी बनाया है। युवाओं को पारदर्शी एवं समयबद्ध रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चयन प्रक्रियाओं में तीव्रता लाई गई है।

राज्य में निवेश-अनुकूल वातावरण के सृजन, प्रक्रियाओं के युक्तिकरण एवं अनुमतियों के डिजिटलीकरण की दिशा में सतत प्रयास किए गए हैं। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एण्ड इंटरनल ट्रेड द्वारा प्रकाशित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आंकलन में राज्य का संतोषजनक प्रदर्शन प्रशासनिक सुधारों एवं पारदर्शिता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

मेरी सरकार आत्मनिर्भर, समृद्ध एवं रोजगारोन्मुख उत्तराखण्ड के निर्माण हेतु प्रतिबद्ध है। फ्लैगशिप योजनाओं के अन्तर्गत आजीविका कार्यक्रमों के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पी0एम0 स्वनिधि, मुख्यमंत्री स्वरोजगार आदि योजनाओं के माध्यम से युवाओं, महिलाओं एवं किसानों को उद्यम स्थापना, वित्तीय, तकनीकी तथ संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराया गया है। इसके अन्तर्गत लगभग 1.87 लाख से अधिक नागरिकों को स्वरोजगार से जोड़ा गया है।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के अन्तर्गत विगत चार वर्षों में तैंतीस हजार छः सौ से अधिक, पी0एम0 स्वनिधि योजना में तैंतालिस हजार छः सौ से अधिक, कृषि एवं गैर कृषि आजीविका पहल में सैंतालिस हजार पांच सौ से अधिक व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं।

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 746 परिवारों को लाभान्वित किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा आधारित स्वरोजगार को प्रोत्साहन मिला है।

महिला सशक्तिकरण को राज्य की विकास नीति का प्रमुख आधार बनाते हुए "लखपति दीदी" पहल को सुदृढ़ किया गया है। लखपति दीदियों की संख्या 2.55 लाख तक पहुंच चुकी है, जिससे स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं की आय में वृद्धि एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित हो रही है।

मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत रू0 1.5 लाख तक अनुदान की व्यवस्था की गई है। इस वर्ष 2000 एकल महिलाओं को आच्छादित करने के प्रयास गतिमान हैं।

मा0 प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना के अनुरूप हमारी सरकार द्वारा राज्य में पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से “शीतकालीन यात्रा” का संचालन किया जा रहा है। इस वर्ष माह जनवरी, 2026 तक चौवालिस हजार से अधिक श्रद्धालु चारधाम गद्दी स्थलों पर दर्शन कर चुके हैं। शीतकालीन अवधि में जी0एम0वी0एन0/के0एम0वी0एन0 आवास गृहों में 50% छूट दी जा रही है।

प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा एवं श्री हेमकुण्ड यात्रा 2025 में 50 लाख से अधिक पर्यटक व श्रद्धालुओं द्वारा दर्शन किये गये हैं। ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व के मंदिरों के लिये “मानसखंड मंदिर माला मिशन योजना” प्रारम्भ की गई है।

“वोकल फॉर लोकल” के क्रम में “लोकल टू ग्लोबल” की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से 22 ट्रेडमार्क (11 GI एवं IPR सहित) पंजीकृत किए गए हैं। अमेजोन, ओ0एन0डी0सी0, जियो-मार्ट, बिग-बास्केट, ब्लिंकिट आदि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उत्पादों की बिक्री हो रही है।

कृषि एवं उद्यान उत्पादों के संवर्धन हेतु सेब, कीवी, ड्रैगन फ्रूट, हनी, मिलेट तथा महक क्रांति मिशन संचालित हैं। राज्य ने छोटे राज्यों की श्रेणी में एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सशक्त प्रेरणा से सर्वांगीण और समावेशी विकास के साथ-साथ “इस दशक को उत्तराखण्ड का दशक बनाने के लिए” हमारी सरकार प्रतिबद्ध है।

विकल्परहित संकल्प के मार्ग पर अडिग रहते हुए हमारी सरकार द्वारा अनेक संकल्प पूर्ण किये जा चुके हैं। राज्य सरकार राज्य के चहुमुखी विकास हेतु अधिक से अधिक निवेशकों को निवेश हेतु प्रोत्साहित कर रही है। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के अन्तर्गत 30 से अधिक नीतियां लागू की गयी हैं।

सुशासन की दिशा में जहां सी0एम0 हेल्पलाइन 1905 और सेवा का अधिकार रूपी प्रभावी अस्त्र जनता के पास उपलब्ध है, वहीं भ्रष्टाचार पर रोक लगाने हेतु शिकायत दर्ज करने के लिए 1064 नम्बर क्रियाशील है। हमारी सरकार ने अतिक्रमण की शिकायतों को गम्भीरता से लेते हुए सरकारी भूमि को अतिक्रमणमुक्त किया है।

नवाचार श्रेणी में वर्ष 2024 में "प्रधानमंत्री उत्कृष्ट लोक प्रशासन पुरस्कार" प्राप्त होना पारदर्शी, उत्तरदायी एवं परिणामोन्मुख शासन व्यवस्था का प्रमाण है।

"मिनीमम गवर्मेंट—मैक्सिमम गवर्नेंस" के लक्ष्य को साकार करते हुए नागरिक सेवाओं के लगभग 75% आवेदन सेवा का अधिकार के अंतर्गत औसतन 8 दिनों में निस्तारित किए जा रहे हैं।

नए आपराधिक कानूनों से पुलिस तंत्र को डिजिटल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया गया है। अभियोजन प्रणाली ई-प्रणालियों से एकीकृत है।

हमारी सरकार ने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि, उद्यान, डेयरी, पशुपालन, एम0एस0एम0ई0 तथा सेवाक्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। स्टेट मिलेट मिशन तथा एप्पल और कीवी मिशन के अंतर्गत तेजी से कार्य किये जा रहे हैं। सेब, कीवी और हाई वैल्यू फ्रूट के उत्पादन में वृद्धि राज्य में किसानों की आर्थिकी को बढ़ाने में सहायक होंगे।

मैं इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अंतर्गत किये जा रहे कार्यों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ :-

सैनिक कल्याण विभाग द्वारा उत्तराखण्ड शहीद कोष के अंतर्गत शहीद सैनिकों के परिजनों को देय एक मुश्त अनुग्रह अनुदान की राशि को रू0 दस लाख से बढ़ाकर रू0 पचास लाख तथा परमवीर चक्र विजेताओं को देय एकमुश्त अनुदान की राशि को रू0 पचास लाख से बढ़ाकर रू0 डेढ़ करोड़ किया गया है।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश की महिलाओं के संरक्षण व सशक्तिकरण के साथ ही बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने व उन्हें स्वास्थ्य एवं पोषण देखभाल तथा प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु महत्वपूर्ण कार्य किये जा रहे हैं।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अन्त्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के अंतर्गत अन्त्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों को वर्ष में तीन गैस सिलेण्डर रिफिल निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग तथा जिला उपभोक्ता विवाद

प्रतितोष आयोग गठित किए गए हैं, जिसमें "माह जनवरी, 2025 से अक्टूबर, 2025 तक उक्त आयोगों द्वारा क्रमशः कुल 289 वाद तथा 1366 वाद निस्तारित किए गए हैं।"

**अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत** अल्पसंख्यक वर्गों की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में उनकी विशिष्ट समस्याओं के निराकरण करने एवं उनका सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक विकास करते हुए उनको मुख्य धारा में लाने हेतु विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अल्पसंख्यक छात्रों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए मदरसा बोर्ड की जगह "उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण" बनाया गया है।

**समाज कल्याण विभाग** द्वारा दिव्यांगजनों को विशिष्ट पहचान पत्र (UDID) बनाकर उपलब्ध कराये जा चुके हैं। विभाग द्वारा विभिन्न वर्गों के सामाजिक, आर्थिक विकास हेतु राजकीय वृद्धाश्रम, राजकीय दिव्यांग कर्मशाला एवं उत्पादन केन्द्र, राजकीय भिक्षुक गृह, राजकीय औद्योगिक संस्थान संचालित किये जा रहे हैं।

**सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पेंशन भुगतान को पूर्णतः डीबीटी माध्यम से संपादित किया गया है।** जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक नौ लाख बासठ हजार से अधिक पेंशनरों को रू0 एक हजार तीन सौ करोड़ से अधिक की धनराशि वितरित की गई है, जिससे पारदर्शिता एवं समयबद्धता सुनिश्चित हुई है।

**प्रधानमंत्री जनमन योजना के अन्तर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पी०वी०टी०जी०) बुक्सा तथा राजी जनजातियों के चिन्हित 669 घरों को विद्युतीकृत कर लिया गया है।**

**पेयजल विभाग** द्वारा जल जीवन मिशन में राज्यान्तर्गत ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील घरेलू नल संयोजन के माध्यम से शुद्ध मानकोनुरूप पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है, जिससे महिलाओं के श्रम-समय की बचत होगी।

**जलागम विभाग** द्वारा जलागम अवधारणा के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों-जल, जंगल, जमीन के संवर्धन/संरक्षण के साथ-साथ आजीविका के अवसरों में वृद्धि के उद्देश्य से विश्व बैंक वित्त पोषित-उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना, केन्द्र पोषित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-जलागम विकास घटक

2.0 एवं राज्य पोषित स्प्रिंग एण्ड रिवर रिजुविनेशन प्राधिकरण (SARRA) योजनाओं को संचालित किया जा रहा है।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा राज्य में प्राकृतिक स्रोतों के पुर्नजीविकरण एवं वर्षा जल का पेयजल तथा सिंचाई में प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु कई जलाशयों के निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये गये हैं।

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत गोला नदी पर जमरानी बाँध बहुउद्देशीय परियोजना निर्माण से हल्द्वानी शहर एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्र की पेयजल एवं सिंचन क्षमता का सृजन होगा। सौंग नदी पर सौंग बांध पेयजल परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर देहरादून शहर के पेयजल आपूर्ति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं।

कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों को नियमानुसार धनराशि कृषकों के खातों में हस्तांतरित की जा रही है। मण्डुआ, झंगोरा आदि परंपरागत फसलों हेतु स्टेट मिलेट पॉलिसी का संचालन किया जा रहा है। 162 कृषक उत्पादक संगठन का गठन किया जा चुका है। राज्य के 27 उत्पादों को जियोग्रेफिकल इन्डीकेशन टैग प्रदान किया गया है।

उद्यान विभाग के अन्तर्गत मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना के अन्तर्गत कीवी, ड्रैगन फ्रुट व सेब की अति सघन बागवानी को बढ़ावा देने के साथ पॉलीहाउस निर्माण, मौनपालन एवं शहद मिशन, मशरूम उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग के अन्तर्गत राज्य की गन्ना समितियों में पारदर्शिता एवं मितव्ययता हेतु गन्ना पर्वियों के निर्गमन, वितरण, गन्ना मूल्य का ससमय भुगतान किया जा रहा है तथा गन्ना सर्वेक्षण जी0पी0एस0 के माध्यम से किया जा रहा है।

राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों के आधुनिकीकरण हेतु विगत 03 वर्षों में स्वीकृत लगभग रू0 74 करोड़ (रू0 चौहत्तर करोड़) की धनराशि से ब्यायलरों का अपग्रेडेशन, नयी सेन्ट्रीफ्युगल मशीनों, नई टरबाईनों, एसी वेरिबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव मोटर, मय प्लेनेटरी गियर बॉक्स, डस्ट क्लस्टर एवं डायरेक्ट कान्टेक्ट हीटर की स्थापना की गयी है।

पशुपालन विभाग द्वारा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए लिंग वर्गीकृत वीर्य के उपयोग से कृत्रिम गर्भाधान का आच्छादन करने व स्वदेशी नस्ल का संरक्षण व संवर्धन, कुक्कुट विकास का सघनीकरण किया जा रहा है। विभागीय हेल्पलाइन नम्बर (1962) के माध्यम से पशुरोग निदान सेवाओं हेतु 60 मोबाइल वेटनरी यूनिटों का संचालन किया जा रहा है।

कुक्कुट पालन में स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में ब्रायलर फार्म की स्थापना की जा रही है। पोल्ट्री क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने हेतु पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 40 प्रतिशत और मैदानी क्षेत्रों के लिए 30 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है।

वाईट्रेंट विलेज योजना के अन्तर्गत भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल (ITBP) की उत्तराखण्ड राज्य में तैनात वाहिनी के लिये वोकल फॉर लोकल परिकल्पना को साकार करने हेतु देश में प्रथम बार ITBP को स्थानीय उत्पादों जीवित बकरी/भेड़, कुक्कुट की आपूर्ति की जा रही है जिसके अन्तर्गत जनवरी, 2026 तक ₹0 9 करोड़ से अधिक लागत का व्यवसाय कर स्थानीय पशुपालकों को लाभान्वित किया गया है।

डेरी विकास विभाग के अन्तर्गत नैनीताल के लालकुआँ में 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता की आधुनिक दुग्धशाला की स्थापना का निर्माण कार्य गतिमान है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद ऊधमसिंह नगर के सितारगंज क्षेत्र में दुग्धचूर्ण, संयंत्र, आईसक्रीम एवं बैकरी यूनिट की स्थापना बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर (BOT) मॉडल पर किये जाने हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश में चारे की समस्या के निदान हेतु लगभग 2200 किसानों को जोड़कर 03 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (FPO) का गठन किया गया है।

मत्स्य विभाग के अन्तर्गत मत्स्यकीय क्षेत्र 9.39 प्रतिशत की दर से वृद्धि कर रहा है। राज्य में ट्राउट फार्मिंग विस्तार के निरन्तर कार्य किये जा रहे हैं एवं वर्तमान तक 1847 ट्राउट रेसवेज यूनिट तैयार की जा चुकी है। किसानों को स्थानीय बाजार

उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल (ITBP) के साथ अनुबंध कर विगत एक वर्ष में लगभग 25 टन ट्राउट की आपूर्ति की जा चुकी है।

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के माध्यम से राज्य में विभिन्न गतिविधियों का विस्तार किया जा रहा है। जनपद ऊधमसिंह नगर में राज्य स्तरीय इण्टीग्रेटेड एक्वापार्क का होलसेल फिश मार्केट का निर्माण किया जा रहा है।

सहकारिता विभाग द्वारा "दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनान्तर्गत" स्वयं सहायता समूहों को ब्याज रहित ऋण वितरित किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य की 23 एमपैक्स "जन औषधि केन्द्र" के रूप में कार्य कर रही हैं। राज्य में कार्यशील पैक्स को उर्वरक खुदरा विक्रेता के रूप में विकसित किये जाने के उद्देश्य से वर्तमान में 478 पैक्सों में "प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र" खोले जा चुके हैं।

वन विभाग द्वारा मानव वन्यजीव संघर्ष में मानव मृत्यु की दशा में अनुग्रह राशि ₹0 छः लाख से बढ़ाकर ₹0 दस लाख किये जाने का निर्णय लिया गया है। राज्य में ईको पर्यटन को समर्पित एकीकृत वेबसाइट का विकास किया जा रहा है। वन सीमाओं को डिजिटल बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। वनाग्नि नियंत्रण व आपदा प्रबन्धन हेतु वर्ष 2025 में "एकीकृत कमांड एवं कंट्रोल सेंटर सिस्टम" स्थापित करते हुए डायल नम्बर 1926 प्रारम्भ किया गया है। यह अत्यन्त हर्ष का विषय है कि उत्तरकाशी वन प्रभाग के अन्तर्गत एशिया का पहला स्नो लेपर्ड कन्जर्वेशन सेन्टर स्थापित किया जा रहा है।

ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के प्रथम चरण में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (SECC), 2011 एवं आवास प्लस की स्थाई प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित पात्र अड़सठ हजार पांच सौ एकतिस परिवारों को शत-प्रतिशत आवास स्वीकृत किये गये हैं। योजनान्तर्गत कुल एक हजार तीन सौ एककीस भूमिहीन परिवारों को भूमि पट्टा आवंटित किये गये।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत बाइस हजार पांच सौ कि०मी० से अधिक लक्ष्य के सापेक्ष एककीस हजार तीन सौ कि०मी० से अधिक सड़क का निर्माण किया गया है। 250+ आबादी की एक हजार आठ सौ चौंसठ बसावटों के सापेक्ष एक हजार

आठ सौ साठ बसावटें मुख्य मार्ग से जोड़ी गयी हैं। **वाईब्रेन्ट विलेज कार्यक्रम (VVP)** के अन्तर्गत 04 मार्गों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

**ग्रामीण निर्माण विभाग** द्वारा '**मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना**' के अन्तर्गत राज्य के सूदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली 250 तक की आबादी जो मोटर मार्ग संयोजन से वंचित थी, उन्हें मुख्य मोटर मार्गों से संयोजित करते हुये ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, आर्थिक और सामाजिक सेवाओं को बढ़ावा दिये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

**लोक निर्माण विभाग** द्वारा अधोसंरचना विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में छः सौ कि०मी० से अधिक सड़कों का पुनर्निर्माण, एक सौ चौहत्तर कि०मी० का नव निर्माण तथा 21 सेतुओं का निर्माण संपादित किया गया है। साथ ही 21 ग्रामों को सड़क संपर्क से जोड़कर संतुलित एवं समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की गई है।

**परिवहन विभाग** द्वारा सेवा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत वाहनों एवं पंजीयन लाइसेंस से सम्बन्धित 58 सेवाओं को अधिसूचित किया जा चुका है। वाहन चालकों की परीक्षा कम्प्यूटरीकृत रूप में लिये जाने हेतु राज्य के प्रत्येक कार्यालय क्षेत्रान्तर्गत आटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक की स्थापना की जा रही है। वाहनों की रीयल टाईम मॉनिटरिंग हेतु वाहनों में **वी०एल०टी० (Vehicle Location Tracking)** डिवाइस स्थापित की जा चुकी हैं।

उत्तराखण्ड पहला राज्य है जिसके द्वारा भारत सरकार के मानकों के अनुरूप **बैकएण्ड सॉफ्टवेयर** बनाया गया है। सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत स्पीड रडार गन युक्त **ए०एन०पी०आर० (Automated Number Plate Recognition)** कैमरों की स्थापना की जा रही है।

**नागरिक उड्डयन विभाग** द्वारा नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रदेश के दुर्गम व अति संवेदनशील क्षेत्रों हेतु क्षेत्रीय संपर्क योजना के अन्तर्गत हेलीपोर्ट निर्मित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं के दृष्टिगत राज्य में स्थित एयरपोर्टों का

विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण राज्य के वित्तीय संसाधनों के अनुरूप किया जा रहा है।

उत्तराखण्ड में हवाई सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पन्त नगर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण तथा देहरादून एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल भवन बनाया गया है। **क्षेत्रीय संपर्क उड़ान योजना (RCS)** योजना के अंतर्गत देहरादून से नौकुचियाताल (नैनीताल), बागेश्वर, उत्तरकाशी, गौचर, टिहरी तथा हल्द्वानी से मुन्स्यारी, अल्मोड़ा तथा चम्पावत के बीच नियमित हैलीकाप्टर उड़ानें संचालित की जा रही हैं। देहरादून से बंगलुरु, हैदराबाद, भोपाल, जयपुर, मुंबई, चेन्नई, लखनऊ, भुवनेश्वर सहित कई प्रमुख शहरों के लिए सीधी हवाई सेवाएं उपलब्ध हैं।

**आवास विभाग** के अन्तर्गत राज्य के नगरों हेतु **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस** के अन्तर्गत महायोजना तैयार किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर प्रारम्भ की गयी है। **भारत सरकार की अमृत 2.0 उपयोजना** अन्तर्गत राज्य के 23 नगर समूह का चयन किया गया है जिनकी GIS आधारित महायोजना निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

शहरी स्थानीय निकायों में संपत्ति कर निर्धारण को अधिक वैज्ञानिक, पारदर्शी एवं न्यायसंगत बनाने के उद्देश्य से **Geographic Information System (GIS) आधारित मानचित्रण प्रणाली** का चरणबद्ध क्रियान्वयन किया जा रहा है। इससे कराधान प्रक्रिया में सटीकता सुनिश्चित होगी तथा स्थानीय निकायों के राजस्व आधार को सुदृढ़ता प्राप्त होगी।

**भूमि पंजीकरण (रजिस्ट्री) प्रक्रिया को GIS प्लेटफॉर्म से एकीकृत करने** की कार्यवाही प्रगति पर है, जिससे भू-खंडों की प्रामाणिक पहचान, बाजार मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता तथा भूमि विवादों में कमी सुनिश्चित की जा सके। यह पहल प्रशासनिक दक्षता को सुदृढ़ करने एवं नागरिकों को त्वरित, विश्वसनीय एवं पारदर्शी सेवाएँ प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

**शहरी विकास विभाग** के अन्तर्गत **देवभूमि रजत जयंती पार्क योजना** के अंतर्गत प्रदेश की सभी नगर निकायों में स्वच्छ, हरित एवं आधुनिक सार्वजनिक स्थलों का विकास किया जा रहा है। इन पार्कों में ओपन जिम, बाल उद्यान, शौचालय एवं

सुव्यवस्थित हरित क्षेत्र की व्यवस्था की जा रही है, जिससे बड़े पैमाने पर ग्रीन स्पेस का सृजन होगा और नागरिकों को बेहतर जीवन गुणवत्ता प्राप्त होगी। साथ ही 11 नगर निगमों में स्ट्रीट लाइट मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित कर ऊर्जा दक्ष, केंद्रीकृत एवं स्मार्ट नियंत्रण व्यवस्था लागू की जा रही है। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी एवं गैरसैण जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में आईटी आधारित नगरीय सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है।

स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु सभी नगर निकायों में डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके लिए अतिरिक्त वाहनों की उपलब्धता के साथ जीपीएस एवं व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है।

स्वच्छ भारत मिशन 2.0 (शहरी) के अंतर्गत 953 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण, टोस अपशिष्ट प्रबंधन में 13 निकायों की 14 विस्तृत कार्य योजना तैयार की गयी है। यूज्ड वाटर मैनेजमेंट अन्तर्गत चयनित नगर निकायों का सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है।

**पी0एम0 स्ट्रीट वेन्डर्स आत्मनिर्भर निधि (पी0एम0 स्वनिधि) योजना** के अन्तर्गत छियालीस हजार दो सौ से अधिक फेरी व्यवसायियों को रू0 पचहत्तर करोड़ से अधिक (रू0 75 करोड़) का ऋण स्वीकृत एवं वितरित किया गया है।

**प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0** के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 2332 लाभार्थी आधारित आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है।

**ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग** द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं के विकास को गति प्रदान करने हेतु उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा लखवाड़ परियोजना (300 मेगा वॉट) जो एक राष्ट्रीय परियोजना है, का निर्माण किया जा रहा है। **ग्रीन हाइड्रोजन, जियोथर्मल एवं नाभिकीय ऊर्जा** के क्षेत्र में भी परियोजना स्थापित करने की सम्भावनाओं को तलाशा जा रहा है।

राज्य स्थापना की रजत जयंती के पावन अवसर पर मा0 प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 132 के0वी0 बिंदाल-पुरकुल लाईन, 11.75 सर्किट किलो मीटर,

220 किलोवोल्ट बरम-जौलजीवी विद्युत पारेषण लाईन (25.12 किलो मीटर) एवं 220 किलोवोल्ट उपसंस्थान बरम (50 एम0वी0ए0) का लोकार्पण किया गया। इसके अतिरिक्त पिटकुल की तीन परियोजनाएं कुल क्षमता 840 के0वी0 तथा संबंधित पारेषण लाईन का भी शिलान्यास किया गया।

**सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (ITDA)** के अंतर्गत इमर्जिंग टैक्नोलॉजी प्रभाग की स्थापना की गई है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग तथा अन्य आधुनिक तकनीकों में नवाचार को प्रोत्साहित करेगा। “डिजिटल उत्तराखण्ड पोर्टल” के माध्यम से सतत डिजिटलीकरण, वर्कफ्लो ऑटोमेशन और सिस्टम इंटीग्रेशन द्वारा पारदर्शिता बढ़ाई गई है और दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं की पहुंच में सुधार हुआ है।

पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने, रोजगार प्रदान करने, स्थानीय संस्कृति व उत्पादों से परिचित कराने के उद्देश्य से दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना प्रारम्भ की गई है।

राज्य के युवाओं को विभिन्न प्रकार के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम यथा आतिथ्य सत्कार, नैचुरलिस्ट, टूरिस्ट डेस्टिनेशन गाइड, टूर मैनेजर, एस्ट्रो टूर गाइड, स्ट्रीट फूड वेण्डर आदि में आठ हजार से अधिक युवक एवं युवतियों को रोजगार से जोड़ा गया है।

उत्तराखण्ड में वेडिंग डेस्टिनेशन को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा वेडिंग डेस्टिनेशन नीति तैयार की जा रही है तथा विस्तृत गाइडलाइन भी जारी की गई हैं। इसके लिए रामनगर (नैनीताल), देहरादून, ऋषिकेश तथा त्रियुगीनारायण वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में काफी लोकप्रिय हो चुके हैं, जहाँ देश के विभिन्न राज्यों से लोग विवाह समारोह आयोजित करने आ रहे हैं। रुद्रप्रयाग के चोपता-दुग्गल बिट्टा, नैनीताल के पटवाड़ांगर तथा चम्पावत के शारदा कॉरिडोर अंतर्गत डांडा एवं चुक्का को नए वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है।

राज्य सरकार ने तीन नए आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र (Spiritual Economic Zone) भी चिन्हित किए हैं। इनमें पौड़ी गढ़वाल का बेल केदार क्षेत्र, टिहरी गढ़वाल का अंजनीसैण एवं टिहरी क्षेत्र तथा चम्पावत का लोहाघाट और श्यामला ताल क्षेत्र

सम्मिलित हैं। इन पहलों का उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करना है।

साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में भी राज्य निरंतर प्रगति कर रहा है। रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन साइकिलिंग, माउंटेन बाइकिंग और कायकिंग जैसी गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं।

हमारी सरकार द्वारा हाई एल्टीट्यूड टूरिज्म को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी क्रम में 02 नवम्बर 2025 को आदि कैलाश क्षेत्र में हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन आयोजित की गई। आदि कैलाश यात्रा में पर्यटकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। यह संख्या वर्ष 2022 में एक हजार सात सौ से बढ़कर वर्ष 2025 में एकतीस हजार से अधिक हो गई है।

औद्योगिक विकास विभाग राज्य का द्वितीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन-ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन वर्ष 2023 में निवेशकों के साथ हस्ताक्षरित हुए एम0ओ0यू0 के सापेक्ष रु0 एक लाख करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट की ग्राउण्डिंग हो चुकी है। काशीपुर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर हेतु एक सौ तैंतीस एकड़ भूमि विकसित की गयी है।

राज्य में विभिन्न सेक्टरों में निजी निवेश प्रोत्साहन हेतु मेगा इंडस्ट्रियल एंड इनवेस्टमेंट नीति-2025 प्रख्यापित की गयी है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (BRAP) 2024 के तहत, उत्तराखण्ड को पाँच बड़े रिफॉर्म एरिया में 'टॉप अचीवर' घोषित किया गया। यह राज्य की दृढ़ इच्छाशक्ति को प्रदर्शित करता है।

उत्तराखण्ड को लीड्स-2024 में "टॉप अचीवर्स" के रूप में सम्मानित किया गया है, जो राज्य की सुदृढ़ लॉजिस्टिक्स प्रणाली एवं उद्योग-अनुकूल वातावरण का प्रमाण है।

श्रम विभाग द्वारा महिला कर्मकारों को रात्रि-पाली में कार्य करने हेतु छूट प्रदान की गयी है। इसमें आवागमन की सुविधा, सुरक्षा तथा यौन उत्पीड़न की घटनाएं रोकने के प्रावधान किये गये हैं।

उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत गत वर्ष में लगभग 1.90 लाख निर्माण श्रमिकों/आश्रितों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को बोर्ड के अन्तर्गत संचालित योजनाओं विवाहोपरान्त, शिक्षा प्रसूति सहायता आदि के लाभ में सुगमता/सरलता लाये जाने हेतु DBT को एकीकृत कर सहायता प्रदान की जा रही है।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा राज्य में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के दृष्टिगत राजकीय मेडिकल कॉलेजों/अस्पतालों का सुदृढीकरण, चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता सहित बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु गंभीर प्रयास किये जा रहे हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर एवं देहरादून में कैथ लैब की स्थापना की जा चुकी है, अन्य कॉलेजों में कैथ लैब की स्थापना की प्रक्रिया गतिमान है।

ईजा-बोई शगुन योजना के अन्तर्गत सरकारी चिकित्सालयों में जच्चा-बच्चा के सुरक्षित स्वास्थ्य एवं अस्पतालों में 48 घण्टे रुकने वाली गर्भवती महिलाओं को रू0 2000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। देहरादून के हरवाला में 300 शैय्यायुक्त कैंसर एवं मैटरनिटी चिकित्सालय का निर्माण करवाया जा रहा है।

आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग द्वारा आयुष चिकित्सा पद्धति की उन्नति के लिए उत्तराखण्ड सरकार निरन्तर प्रयासरत है तथा राज्य के समस्त जनमानस को सस्ती, सुलभ एवं दुष्परिणाम रहित चिकित्सा पद्धति उपलब्ध कराकर उन्हें लाभान्वित कर रही है। प्रदेश में 38 पंचकर्म यूनिट संचालित किये जा रहे हैं तथा 112 अतिरिक्त यूनिट की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

आयुष स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ बनाने हेतु नवीन आयुष नीति-2023 एवं योग नीति-2025 प्रख्यापित की गई है। प्रदेश में आयुष्मान आरोग्य मन्दिरों की स्थापना के साथ ही चिकित्सा पद्धति में AI आधारित नवीनतम तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। उत्तराखण्ड राज्य आयुष तथा वैलनैस हब के रूप में भी विकसित हो रहा है।

विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के राजकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा-1 से 12 तक के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध

करायी जा रही हैं। पी0एम0 श्री योजना के अन्तर्गत 241 पी0एम0 श्री विद्यालयों को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया। जिसमें NEP 2020 के अन्तर्गत 22 महत्वपूर्ण संकेतकों में से 16 संकेतकों का संतृप्तीकरण किया जा चुका है।

आई0सी0टी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के 840 विद्यालयों में हाईब्रिड मोड में वर्चुअल तथा स्मार्ट कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। 810 विद्यालयों में 1585 स्मार्ट कक्षायें स्थापित की जा चुकी हैं। राज्य के 11,035 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को खेल आधारित अधिगम शिक्षण सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है।

उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत GEET-Graduate Employability Eligibility Training के माध्यम से शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत अंतिम वर्ष के छात्रों को सॉफ्ट स्किल के प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट गतिविधि की शुरुआत की गयी है।

आई0आई0टी0 कानपुर के सहयोग से राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खटीमा में "साथी केन्द्र" के माध्यम से छात्र/छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2025 के माध्यम से जनपद देहरादून के ग्राम सनगांव/धारकोट, तहसील डोईवाला में नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है।

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा सामुदायिक रेडियो ऐप (हैलो हल्द्वानी 91.2 एफ0एम0) प्रारम्भ किया गया है।

कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत राज्य के युवाओं को उद्योग में उपयोग हो रही नवीनतम मशीनों पर प्रशिक्षण प्रदान करने एवं उनकी रोजगारपरकता में वृद्धि हेतु विभाग के अन्तर्गत कुल 08 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किये गये हैं। इन केन्द्रों में अभ्यर्थियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण के साथ, इण्डस्ट्री सर्टिफिकेट और प्लेसमेंट के अवसरों की सुविधा भी मिल रही है।

राज्य के युवाओं को विदेशों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों से जोड़े जाने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना' के अन्तर्गत

'विदेश रोजगार प्रकोष्ठ' के माध्यम से 92 अभ्यर्थियों को विदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं।

उत्तराखण्ड के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थानों में भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेन्ट ई-मार्केटप्लेस GEM के माध्यम से मैनपावर के क्रय (आउटसोर्सिंग मैनपावर) की व्यवस्था कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत विकसित "रोजगार प्रयाग पोर्टल" के माध्यम से लागू की गई है।

तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्रदेश में 71 राजकीय पॉलिटैक्निक, 01 सहायता प्राप्त पॉलिटैक्निक एवं 84 निजी पॉलिटैक्निक सहित कुल 156 पॉलिटैक्निक संस्थानों में छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं।

डिप्लोमा स्तरीय छात्र-छात्राओं को AI, IoT (Internet of Things) एवं Robotics से सम्बन्धित आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु प्रथम चरण में चार राजकीय पॉलिटैक्निक संस्थानों में प्रोजेक्ट लैबों की स्थापना की गयी है।

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा राज्य में वृहद् स्तर पर सेवायोजन हेतु AI आधारित इंटरनेटिंग व प्लेसमेंट पोर्टल के संचालन के साथ Pool Campus उपलब्ध कराते हुए नवोन्मेष उद्यमिता एवं कौशल विकास हेतु कार्य कराये जा रहे हैं।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अन्तर्गत युवाओं एवं खिलाड़ियों को चिन्हित कर खेलों में प्रतिभागिता वृद्धि, खेल कौशल में उत्कृष्टता लाने एवं स्थानीय एवं परम्परागत खेलों को बढ़ावा देने के लिये "मुख्यमंत्री खेल विकास निधि" का गठन किया गया है।

दैनिक मानदेय एवं भोजन भत्ता में वृद्धि करते हुए खिलाड़ियों, सदस्यों, ऑफिशियल, निर्णायकों का दैनिक मानदेय एवं भोजन भत्ता रू0 175.00 से बढ़ाकर रू0 250.00 प्रतिदिन दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

राज्य में खेल अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु युवा कल्याण विभाग द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में अब तक 102 मिनी स्टेडियम, 157 खेल मैदान, 07 मल्टीपरपज हॉल खेल गतिविधियों हेतु विकसित किये जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण खेलकूद एवं

स्वास्थ्य संवर्द्धन योजना के अंतर्गत प्रत्येक विकासखण्ड में एक-एक खेल प्रशिक्षक तैनात किये गये हैं।

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार में पण्डित दीन दयाल उपाध्याय शोधपीठ, श्री गुरु गोविन्द सिंह शोधपीठ, स्वामी दयानन्द सरस्वती शोधपीठ, महाराजा अग्रसेन शोधपीठ, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी शोधपीठ एवं श्री शंकराचार्य शोधपीठ की स्थापना की गयी है।

भाषा विभाग द्वारा भाषा संस्थान की उपलब्धियों एवं योजनाओं का आकाशवाणी एवं दूरदर्शन एवं विभाग की वेबसाइट, फेसबुक पेज व राज्य सरकार के फेसबुक पेज, डी0आई0पी0आर0 के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

समावेशी, संतुलित एवं सतत् विकास को लक्ष्य बनाकर राज्य में योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया है। NITI Aayog द्वारा जारी सतत् विकास लक्ष्य (SDG) सूचकांकों में राज्य की प्रगति सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय आयामों में संतुलित नीति-निर्माण का द्योतक है।

हमारे प्रदेश ने सतत विकास लक्ष्यों में वर्ष 2023-24 में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हमारी सरकार सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण, मानव क्षमता विकास तथा आधारभूत अवसंरचना के विकास व अनुरक्षण के लिए सतत् रूप से प्रयत्नशील है।

नियोजन विभाग द्वारा राज्य में आर्थिक विकास एवं पर्यावरणीय संतुलन को समाहित कर 06 प्रमुख थीम्स पर आधारित कार्य समूहों के सहयोग से "विकसित उत्तराखण्ड 2047 विजन डॉक्यूमेंट" तैयार किया जा रहा है।

भारत सरकार के **Deregulation Agenda** के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जनविश्वास अध्यादेश 2025 लाया गया है। सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति हेतु विभागों द्वारा अल्पकालिक, मध्यमकालिक एवं दीर्घकालिक रोडमैप तैयार कर वार्षिक कार्ययोजना एवं आउटकम बजट बनाए जा रहे हैं।

**कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग** उत्तराखण्ड सरकार के योजनाओं/कार्यक्रमों को जनमानस तक पहुंचाने एवं उनकी समस्याओं का सरलीकरण, समाधान, निस्तारण, अनुश्रवण तथा प्रभावी क्रियान्वयन किये जाने का कार्य किया जा रहा है। सभी विभागों के सहयोग से **“मेरी योजना (राज्य सरकार)”** पुस्तक की प्रथम संस्करण व द्वितीय संस्करण एवं **“मेरी योजना (केन्द्र सरकार)”** पुस्तक तैयार की गयी है।

**सूचना एवं लोक संपर्क विभाग** द्वारा राज्य सरकार एवं जनता के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए राज्य सरकार की विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं, महत्वपूर्ण नीतियों/उपलब्धियों तथा कार्यक्रमों को इलेक्ट्रॉनिक चैनलों, सोशल मीडिया एवं लघु फिल्मों के माध्यम से प्रचार-प्रसार करते हुए जन-जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।

फिल्म नीति 2024 के माध्यम से राज्य को फिल्म निर्माण हेतु अनुकूल पारिस्थितिकी के रूप में विकसित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 8 तथा 2025-26 में 25 फिल्मों को अनुदान स्वीकृत किया गया है, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं एवं निवेश को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। पंजीकृत सांस्कृतिक दलों की संख्या 240 से बढ़कर 296 हो गई है, जिससे कलाकारों को व्यापक अवसर एवं संस्थागत सहयोग प्राप्त हुआ है।

**कार्मिक एवं सतर्कता विभाग** के अन्तर्गत मुख्यतः सेवा संबंधी मामलों में नीति निर्धारण, परामर्श संबंधी कार्य तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने विषयक महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न किये जा रहे हैं।

भारत सरकार द्वारा संचालित **“मिशन कर्मयोगी”** योजनान्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यरत समस्त कार्मिकों को iGot platform पर onboarding प्रक्रिया को बढ़ाने एवं राज्य में कार्मिकों की क्षमता निर्माण को और अधिक मजबूत किये जाने हेतु **“मिशन कर्मयोगी”** योजना प्रदेश में संचालित की जा रही है।

कार्यालयी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं अनुशासन सुनिश्चित करने हेतु बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू की गई है, जिससे जनसेवाओं के निष्पादन में दक्षता आई है।

**गृह विभाग** के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा एवं आपदा के समय बचाव तथा राहत कार्यों में कुशलता पूर्वक सहयोग और तीर्थ यात्रियों एवं पर्यटकों की यात्रा को सुरक्षित, सुगम व सुखद बनाने हेतु यातायात के संचालन तथा मार्गों पर कानून व्यवस्था बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया जा रहा है।

मानव अधिकार आयोग द्वारा परिवादों की सुनवाई एवं मानवाधिकार संरक्षण एवं सुप्रशासन के संवेदनशीलता पर कार्यशाला आयोजित की जा रही है।

विज्ञान एवं नवाचार को प्रोत्साहन देने हेतु देहरादून में साइंस सिटी का निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है तथा चंपावत में कार्य प्रगति पर है। नैनीताल, पिथौरागढ़ तथा टिहरी जनपदों में भी साइंस इनोवेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे युवाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा।

राज्य स्तरीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तराखण्ड देहरादून में वर्तमान में नारकोटिक्स, भौतिकी, प्राक्षेपिकी, जीवविज्ञान अनुभाग एवं डी०एन०ए० अनुभाग, सीरम विज्ञान एवं डी०एन०ए० अनुभाग, विष एवं रसायन अनुभाग प्रलेख अनुभाग एवं कम्प्यूटर फॉरेंसिस अनुभाग कार्यशील हैं। विधि विज्ञान प्रयोगशाला, देहरादून एवं क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रुद्रपुर द्वारा परीक्षण कर मामलों का समय से निस्तारण किया जा रहा है।

**न्याय विभाग** के माध्यम से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2025 में कुल 67109 विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविरों/कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से कुल 5173 व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता के अन्तर्गत अधिवक्ताओं की सुविधा प्रदान करायी गयी एवं सैंतीस हजार से अधिक व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सलाह/परामर्श दिया गया।

राज्य के सभी न्यायालयों में 69 मासिक लोक अदालतों का आयोजन कर न्यायालय में लंबित 4088 वादों का निस्तारण किया गया।

राज्य में संचालित 07 स्थायी लोक अदालतों के माध्यम से 911 जन-उपयोगी सेवाओं से सम्बन्धित वादों का निस्तारण किया गया है।

राजस्व विभाग के अन्तर्गत प्रदेश में भूमि के अवैध क्रय-विक्रय एवं भूमि के उचित प्रबन्धन हेतु उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम (संशोधन) 2025 प्रख्यापित किया गया है।

“नक्शा प्रोजेक्ट” के अन्तर्गत आधुनिक ड्रोन सर्वेक्षण विधि से भूमि का सर्वे करवाया जा रहा है, जिससे शहरी भूमि की सही पहचान के साथ हितबद्ध व्यक्ति को उसकी भूमि/सम्पत्ति का सही हक प्राप्त हो सकेगा।

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा प्रदेश में उपलब्ध खनिज सम्पदा/भण्डारों का अन्वेषण कर उनकी मात्रा, गुणवत्ता/मूल्यांकन करते हुए वैज्ञानिक विधियों से विदोहन करने एवं खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु तकनीकी मार्गदर्शन देना है, जिससे राज्य का औद्योगिक विकास के साथ-साथ राजस्व की प्राप्ति भी होती है। राज्य के बाहर से आने वाले खनिजों पर Inter State Transit Pass (ISTP) लागू किया गया है।

गत वर्ष एक हजार करोड़ से अधिक का राजस्व खनन क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। इस वर्ष भी विभाग शत प्रतिशत राजस्व प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है।

आपदा प्रबंधन विभाग के अन्तर्गत ‘युवा आपदा मित्र योजना’ में नागरिकों को “प्रथम प्रतिक्रिया दल” के रूप में प्रशिक्षित कर स्थानीय स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया को सशक्त बनाने की कार्यवाही गतिमान है। इस हेतु 20,000 से अधिक युवाओं और महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की संवेदनशील हिम झीलों के अध्ययन एवं जोखिम न्यूनीकरण हेतु “National GLOF Risk Mitigation Project” के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य की संवेदनशील हिम झीलों का विस्तृत सर्वेक्षण, गहराई मापन (Bathymetry), जल भंडारण क्षमता का आकलन तथा संभावित आउटफ्लो मार्गों की पहचान की जा रही है।

निर्वाचन विभाग द्वारा राज्य में शत-प्रतिशत मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान-पत्र उपलब्ध करा दिये गये हैं।

सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सचिवालय की कार्यप्रणाली में दक्षता, पारदर्शिता एवं शासकीय कार्यों को समयबद्धता के साथ सम्पादित करने के उद्देश्य से पत्रावलियों का संचालन "ई-ऑफिस" के माध्यम से किया जा रहा है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा "प्रवासी उत्तराखण्डी सम्मेलन" का आयोजन किया गया, जिसमें प्रवासी उत्तराखण्डियों के लिये राज्य में निवेश के अवसर एवं उनके योगदान की सम्भावनाओं पर विचार किया गया।

हमारी सरकार ने सुशासन, जनकल्याण व वित्तीय प्रबन्धन को सर्वोपरि स्थान दिया है। केयरएज रेटिंग एजेन्सी की रिपोर्ट के आधार पर हम सुशासन एवं वित्तीय प्रबन्धन के क्षेत्र में छोटे राज्यों में गोवा के बाद दूसरे स्थान पर हैं।

हमारी सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी शारदा कॉरिडोर परियोजना एवं बनबसा लैंड पोर्ट परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। शारदा कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत शारदा घाट पुनर्निर्माण, नदी तट सुदृढीकरण एवं ड्रेनेज कार्य प्रगति पर हैं।

बनबसा लैंड पोर्ट परियोजना राज्य के सामरिक एवं आर्थिक हितों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह सीमावर्ती व्यापार एवं आवागमन को सुदृढ कर क्षेत्रीय विकास एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग को नई दिशा प्रदान करेगी।

कुम्भ-2027 के दिव्य एवं भव्य आयोजन हेतु मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इस संबंध में आधारभूत अवसंरचनाओं के विकास एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

हमारी सरकार द्वारा राज्य के स्वयं के संसाधनों में अभिवृद्धि, पर्वतीय एवं सीमान्त क्षेत्रों में रिवर्स पलायन, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार को प्रोत्साहन, सार्वजनिक पूंजीगत परिसम्पत्तियों का सृजन एवं अवस्थापना विकास आदि को केन्द्र में रखकर विकसित भारत @2047 की तर्ज पर विकसित उत्तराखण्ड @2047 की दिशा में गंभीर प्रयास किया जा रहा है।

मैने इस वर्ष विभागवार किये गये के संक्षिप्त विवरण के साथ-साथ आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सरकार की प्राथमिकताओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया है। हमारी सरकार निष्ठापूर्वक अपने संकल्पों एवं लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है।

देवभूमि उत्तराखण्ड को एक आदर्श और विकसित राज्य के रूप में विकसित करने में दिये जा रहे सहयोग के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं प्रदेश के उत्तरोत्तर विकास की कामना करता हूँ। मुझे विश्वास है कि हम सभी मिलकर इस राज्य को पूरे देश में अग्रणी राज्य बनाने के लिए विकल्प रहित संकल्प लेंगे और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ राज्य को तथा देश को विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जाएंगे।

आप सभी महानुभावों को आगामी वित्तीय वर्ष हेतु वित्तीय व विधायी कार्यों में सक्रिय व सकारात्मक भागीदारी के लिए शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ।

धन्यवाद

जय हिन्द।

